वीर चन्द्र सिंह गढवाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार।

15वीं प्रबन्ध परिषद् की बैठक (विशेष बैठक) का कार्यवृत्त

(Minutes of 15th Board of Management Special Meeting)

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार (पौड़ी गढ़वाल) की प्रबंध परिषद् की 15वीं बैठक (विशेष) दिनांक 12 अगस्त, 2023 को शोध एवं प्रसार केन्द्र सेलाकुई देहरादून में प्रो0 परविन्दर कौशल, मा0 कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबंध परिषद् की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें परिषद् के निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:–

1. श्री शिवस्वरूप त्रिपाठी, उप सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड शासन (प्रतिनिधि सचिव वित्त)– सदस्य
2. डा0 रजनीश सिंह, उप निदेशक उद्यान (प्रतिनिधि, निदेशक उद्यान विभाग) – सदस्य
3. श्री प्रेमचन्द शर्मा, प्रगतिशील किसान – सदस्य
4. डा0 कमल सिंह, पशुधन प्रजनक – सदस्य
5. डा0 अमोल वशिष्ठ, निदेशक शोध – सदस्य
6. डा0 अरविन्द बिजल्वाण, अधिष्ठाता वानिकी महाविद्यालय रानीचौरी – सदस्य
7. डा0 एस0पी0 सती, कुलसचिव – सदस्य सचिव

बैठक के आरंभ में कुलसचिव (सदस्य सचिव) के अनुरोध पर मा0 कुलपति जी (अध्यक्ष प्रबंध परिषद) द्वारा समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। मा0 कुलपति जी (अध्यक्ष महोदय) की आज्ञा उपरांत सदस्य सचिव के द्वारा कार्यसूची (Agenda) के प्रस्तावों को प्रबंध परिषद् के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। परिषद् द्वारा कार्यसूची के प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिए गए:–

कार्यसूची संख्याः UUHF/BOM/15/01: दिनांक 22 जुलाई, 2023 को सम्पन्न प्रबंध परिषद् की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरणः–

प्रबंध परिषद् के द्वारा 14वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन कर कार्यवृत्त का पुष्टीकरण किया गया।

कार्यसूची संख्याः UUHF/BOM/15/02: 14वी प्रबंध परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्यवाहीः–

चूंकि उक्त बैठक विशेष बैठक है, अतएव 14वीं प्रबंध परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्यवाही से परिषद् को आगामी बैठक में अवगत कराया जाएगा। इस पर प्रबंध परिषद द्वारा सहमति प्रदान की गई।

कार्यसूची संख्याः UUHF/BOM/15/03: विश्वविद्यालय में जिन पदों पर द्वितीय चरण में भर्ती प्रक्रिया की जानी है, के विपरीत विषय सलाहकार/Adjunct Faculty नियुक्त किए जाने विषयकः–

प्रथम चरण के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जा रही है जबकि अवशेष 37 पदों पर द्वितीय चरण में भर्ती प्रक्रिया में समय लगने की सम्भावना है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में आई0सी0ए0आर0 से प्रत्यायन की प्रक्रिया गतिमान है। आई0सी0ए0आर0 प्रत्यायन के मानकों की पूर्ति हेतु शिक्षकों की नियुक्ति की जानी नितान्त आवश्यक है।

उक्त के दृष्टिगत द्वितीय चरण में भर्ती किए जाने वाले पदो के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने तक विषय सलाहकार/Adjunct Faculty नियुक्त किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रबंध परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

प्रबंध परिषद् द्वारा यू0जी0सी के Guidelines for Empanelment of Adjunct Faculty in Universities and Colleges 2022 (विश्वविद्यालय अनुकूलन एवं रूपान्तरण आदेश 2022) के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए Adjunct Faculty नियुक्त किए जाने का अनुमोदन किया गया।

कार्यसूची संख्याः UUHF/BOM/15/04: श्री देवदत्त शर्मा, आई.ए.एस (सेवानिवृत्त) को कुलसचिव के रिक्त पद के सापेक्ष पूर्णकालिक विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किए जाने के सम्बन्ध में:–

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार में कुलसचिव के रिक्त पद के सापेक्ष पूर्णकालिक विशेष कार्याधिकारी के रूप में श्री देवदत्त शर्मा, सेवानिवत्त आई.ए.एस. अधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव विश्वविद्यालय के पत्र संख्या UUHF/VC/129 दिनांक 30.05.2023 के माध्यम से उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया था जिसमें उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस विषय में पत्रांक सं0 686/XIII-2/2023 -06(12)/2023 दिनांक 11.07.2023 के माध्यम से सूचित किया गया है कि "उक्त प्रस्ताव नियमों के इतर व पोषणीय न होने के कारण प्रस्ताव पर विचार किए जाने का कोई अवसर नहीं है, अतः विश्वविद्यालय के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विद्यमान नियमों के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करें।"

उक्त के आलोक में विश्वविद्यालय परिनियमावली 2014 की धारा 08(क) के बिन्दू संख्या 10 के अनुसार **"विश्वविद्यालय में किसी भी श्रेणी के शिक्षक/ अधिकारी/कार्मिक की स्थायी नियुक्ति में विलम्ब की सम्भावना हो तो अधिनियम की धारा 12(6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, विशेष परिस्थितियों में, जहां तत्काल नियुक्ति किया जाना विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों की निरंतरता हेतु आवश्यक हो एवं नियमित नियुक्तियों में विलम्ब की संभावना हो, कुलपति किसी भी श्रेणी के नितांत आवश्यक पदों पर योग्यता के आधार पर कामचलाऊ/अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत आउटसोर्सिंग द्वारा नियुक्त कर सकेगें। परन्तु जिन पदों हेतु नियुक्त प्राधिकारी प्रबंध परिषद है, उसके लिये प्रबंध परिषद का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।"**

श्री शर्मा को कुलसचिव के रिक्त पद के सापेक्ष विश्वविद्यालय के आय के संसाधनों से न्यूनतम धनराशि रू0 1,50,000.00 (पे माईनस पेंशन के आधार पर) के मासिक भुगतान पर विशेष कार्याधिकारी सह सलाहकार

के रूप में नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। इनका वेतन भुगतान विश्वविद्यालय के आय स्रोत से किया जाएगा।

विश्वविद्यालय परिनियमावली के उक्तवत वर्णित प्राविधान के आलोक में कुलसचिव के रिक्त पद के सापेक्ष पूर्णकालिक विशेष कार्याधिकारी के रूप में श्री देवदत्त शर्मा, सेवानिवृत आई.ए.एस. की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद के अनुमोदनार्थ किया गया।

उक्त प्रस्ताव पूर्व में शासन स्तर से अस्वीकृत हो चुका है। अतः इस प्रस्ताव को प्रबंध परिषद् द्वारा पुनर्विचार योग्य नहीं पाया गया। वित्त विभाग के प्रतिनिधि द्वारा यह सुझाव दिया गया कि यदि कुलसचिव के नियमित चयन में समय लग रहा है, तो विश्वविद्यालय इस पद पर 01 वर्ष या नियमित चयन, जो भी पहले हो तक के लिए नियमानुसार प्रतिनियुक्ति से पद को भर सकते है। सदस्य सचिव द्वारा प्रबंध परिषद के संज्ञान में लाया गया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली की धारा 4(ख)(b)(तेरह) में मा0 कुलपति जी को विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार परामर्शदाता की सेवायें विहित प्रक्रियानुसार प्राप्त करने का प्राविधान है जिस क्रम में विश्वविद्यालय श्री देवदत्त शर्मा, पूर्व आई.ए.एस की विशेषज्ञ सेवायें लेना चाहता है। परिनियमावली के नियमों से अवगत होने के उपरांत प्रबंध परिषद के सदस्यों द्वारा यह अवगत कराया गया कि किसी व्यक्ति विशेष की सेवायें लेना नियमसंगत नहीं होगा।

अतः मा0 कुलपति जी को प्राप्त उपरोक्त अधिकार के आलोक में कोई प्रक्रिया विहित न होने की दशा में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में सेवाओं की अधिप्राप्ति के नियमों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही किए जाने पर अनुमोदन किया गया।

14.08.23

(डा0 एस0पी0 सती)
कुलसचिव एवं सदस्य सचिव
प्रबंध परिषद्

पुष्टीकृत (Confirmed)

(प्रो0 परविन्दर कौशल)
कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबंध परिषद्